HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Interim Bail Application No. 2224/2026

Muni Ram S/o Shri Girdhari Lal, Aged About 30 Years, R/o- Ward No.-15, Malani Bas, Palana, P.s. Deshnok, Distt. Bikaner. (Presently Lodged In Central Jail, Bikaner.)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Laxmi Devi
For Respondent(s)	:	Mr. Narendra Gehlot, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

10/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अंतरिम जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विविध फौजदारी जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 16/2026, पुलिस थाना गंगाशहर, जिला बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 296/2023 अंतर्गत धारा 307, 302, 143 भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त की 05 वर्षीय पुत्री माधुरी को मिरगी का दौरा पड़ता है, जिसका इलाज करवाना आवश्यक है और प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार में उसके अलावा कोई भी पुरूष सदस्य नहीं है, उसकी पुत्री माधुरी का ऑपरेशन 20 दिवस में करवा लिया जावेगा, 20 दिन के बाद ऑपरेशन करवाने के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया जावेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को 20 दिवस की अंतरिम जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने थानाधिकारी पुलिस थाना गंगाशहर, जिला बीकानेर की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक 756 दिनांक 05.03.2026 की रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा प्रार्थी/अभियुक्त की पुत्री का प्रिंस बिजयसिंह जी मेमोरियल (पी.बी.एम.) सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर से इलाज चलना जाहिर किया। अंत में उचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना गंगाशहर, जिला बीकानेर की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक 756 दिनांक 05.03.2026 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्री माधुरी की मेडिकल रिपोर्ट दस्तावेज, हेमलता के बयान, डॉक्टर एमजी चौधरी की जांच रिपोर्ट व प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी को पीबीएम अस्पताल, बीकानेर में दिनांक 06.03.2026 को दिखाने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त अपनी पत्नी व चार पुत्रियों के साथ अपने माता–पिता व भाई से अलग निवास करता है। श्रीमती प्रेमलता के बयान के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की चारों पुत्रियां अवयस्क है और कोई भी पुत्री 10 वर्ष से अधिक की नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार में इलाज कराने वाला पुरूष सदस्य नहीं है। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के पांच वर्षीय पुत्री माधुरी का ऑपरेशन करवाने के लिए अंतरिम जमानत चाही गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का भागने का कोई अंदेशा नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्त की पांच वर्षीय पुत्री माधुरी की चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के पारिवारिक स्थिति व प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए उसे 20 दिवस की अवधि के लिए अंतरिम रूप से जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मुनीराम पुत्र गिरधारीलाल** की ओर से प्रस्तुत उक्त अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद एक लाख रुपये का बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानतें इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि वह अन्तरिम जमानत अवधि के दौरान शांति व सद्व्यवहार बनाये रखेगा तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा जमानत पर रिहा होने की दिनांक से 20 दिवस की अवधि में स्वयं संबंधित कारागृह में उपस्थित होकर समर्पण कर देगा तो उसे अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पण नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पण करने/नहीं करने के संबंध में संबंधित कारागृह के सक्षम अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय/इस न्यायालय को अविलम्ब सूचित किया जाएगा।

तद्नुसार यह अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

88-kumawat/-